



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2175

बिलासपुर, दिनांक 24.9.19

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980
Proposed for Extension of Boundary for Power Plant situated at Village Badadarha.,
Area - 4.88 Ha. - Regarding.

पंजीयन क्रमांक:-FP/CG/IND/40088/2019

संदर्भ :-

आपका पत्र क्र./ (भू-प्रबंध) रायपुर का पृ. क्र. 1647 दिनांक 03.07.2019

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि, आवेदनकर्ता मेसर्स डी.बी.पॉवर लिमिटेड द्वारा जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल के अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा, तहसील डभरा में परियोजना विस्तार हेतु 4.880 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा के पत्र क्र./6087 दिनांक 11.09.2019 के द्वारा प्रेषित किया गया है, वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव का निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार परीक्षण किया गया है, अतः प्रकरण प्रथम चरण स्वीकृति हेतु अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार (प्रस्ताव 04 प्रतियों में)

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्र./तक./ 2176

बिलासपुर, दिनांक 24.9.19

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।
2. प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स डी.बी.पॉवर लिमिटेड, ग्राम बारादरहा, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदक मेसर्स डी.बी.पॉवर लिमिटेड द्वारा जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल के अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा, तहसील डमरा में परियोजना विस्तार हेतु 4.880 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुसंशीत


(अनिल सोनी)

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर